अपने अधिकार जानिए (यौन उत्पीड़न)

क्या कार्यस्थल में आपके बॉस, सह-कर्मचारी , सेवा-प्रदाता या किसी ग़ाहक द्वारा आपका यौन उत्पीड़न किया गया है? क्या आपके कार्यस्थल पर यौन संबंधी पोस्टरों या बातचीत की वजह से आपको बेचैनी महसूस होती है? लिंग भेद्भाव अध्यादेश आपको यौन उत्पीड़न और प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है।

क्या कार्यस्थल पर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है?

- किसी ने आपके रूप-रंग को लेकर किसी प्रकार की बात कही हो जो आप के लिए अप्रिय हो या भय पैदा करने वाला हो।
- किसी ने आपके न चाहते हुए भी आपको यौन तरीके से छुआ।
- किसी ने आपके साथ बुरा यौन व्यवहार किया।
- किसी ने आपसे या आपके पास यौन संबंधी चुटकुले सुनाए या यौन संबंधी बातें की जो आपको अच्छा नहीं लगा।
- किसी ने योन तस्वीरें दिखाईं या अपने कार्यस्थल पर लगाईं जिससे आपको लज्जा महसूस हुई।
- आपको किसी ने यौन तरीके से उत्पीड़ित किया जब आप उनको वस्तु, सुविधा या सेवाएँ प्रदान कर रहे थे।

आप अकेले नहीं हैं। हर साल, कई व्यक्ति यौन उत्पीड़न का सामना करते हैं। यह न केवल लज्जाजनक और परेशान करने वाली बात है, यह गैर-कानूनी भी है।

लिंग भेद्भाव अध्यादेश के अधीन आपको सुरक्षा प्राप्त है

लिंग भेद्भाव अध्यादेश यौन उत्पीड़न से आपको सुरक्षा प्रदान करता है।यौन उत्पीड़न नागरिक कानून के अंतर्गत एक अपराध है। कानून के अनुसार यौन उत्पीड़न अनचाहा यौन प्रयास है। इसमें शामिल है आपको छूना, यौन संबंधी बातें कहना और यौन क्रिया की मांग करना। जब आपको किसी वातावरण में भय लगता हो जो यौन नज़रिये से प्रतिकूल वातावरण हो तो वो भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा। लिंग भेद्भाव अध्यादेश आपको नौकरी और शिक्षा के क्षेत्रों में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। वस्तु, सुविधा या सेवा प्रदाताओं के द्वारा ग़ाहकों का और प्रदाताओं का ग़ाहकों द्वारा यौन उत्पीड़न से सुरक्षा भी लिंग भेद्भाव अध्यादेश के अंतर्गत शामिल है।

आपको निम्न परिस्थितियों में भी सुरक्षा प्राप्त है:

- घटना को और किसी ने नहीं देखा
- आपको नौकरी से नहीं निकाला गया
- आपको उत्पीड़ित करने वाला आपका बॉस नहीं, सह-कर्मचारी, सेवा-प्रदाता या ग़ाहक है

- आपने कभी कभी यौन व्यवहार में साथ दिया हो या समर्पण किया हो - पर नहीं चाहते हुए
- ऐसी बात केवल एक बार हुई हो
- आप हाँग काँग से बाहर किन्तु हाँग काँग में रजिस्टर्ड जहाज या वाहन में वस्तु, सुविधा या सेवा प्रदान कर रहे हैं।

यदि आपके साथ भेदभाव होता है तो आप क्या कर सकते हैं?

१. **मना कीजिए**
उत्पीड़क से अपना व्यवहार रोकने को कहिए। उससे कहिए कि आपको ऐसा बर्ताव पसंद नहीं। अगर ऐसा दोबारा होता है तो उसे चिट्ठी भेजिए कि वह अपना व्यवहार बन्द करे और एक कॉपी अपने पास रखें।

२. **घटना की सभी जानकारी लिख लें**
घटना की तिथि, समय और स्थान की जानकारी लिख लें। घटना के दौरान क्या कहा गया, इस जानकारी को भी शामिल कीजिए। अगर उत्पीड़क ने आपको छुआ था, तो कहाँ छुआ था और कौन मौजूद था यह भी लिख लें। इस अभिलेख की कॉपी घर में रखिए। अगर आप शिकायत दर्ज करना चाहेंगे तो यह काम में आएगा।

३. **अपने दोस्तों, परिवार और सह-कर्मचारियों का सहारा लें**
कुछ लोग उत्पीड़न की वजह से उदास हो जाते हैं या उनको अल्सर, सिर दर्द या उबकाई होने लगती है। अपना ख्याल रखिए। अगर आपको डर है कि आपकी नौकरी चली जाएगी तो ऐसे सहकर्मियों का पता लगाइए जिनको ऐसी ही परेशानी है। उनके साथ मिलकर समस्या का समाधान खोजिए।

४. **अगर आप किसी यूनियन में शामिल हैं तो यूनियन के प्रतिनिधी से बात कीजिए।**

५. **किसी एन जी ओ या ऐसी ही किसी संस्था से बात कीजिए।**

६. **अपने नौकरीदाता से बात कीजिए।**
आपके नौकरीदाता के पास यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिखित शिकायत प्रक्रिया होनी चाहिए। अपने मानव संसाधन विभाग से बात करें या कर्मचारी हैंडबुक में देखें। अगर उत्पीड़क ग्राहक है, तो अपने सुपरवाइजर या नौकरीदाता को सूचित करें ताकि उचित व्यवहारिक कदम उठाए जा सकें।

७. **अपने काम का रिकार्ड रखें।**
अपने काम के मूल्यांकन की कापीज़ घर में रखें। साथ ही कोई भी चिट्ठी या मेमो जिसमें आपके काम की प्रशंसा की गई हो, उनकी कापीज़ भी रखिए। उत्पीड़क अपनी सफाई में आपकी कार्यक्षमता पर उंगली उठा सकते हैं।

८. **समान अवसर आयोग (EOC) में रिपोर्ट दर्ज करें।**
आयोग आपकी सुरक्षा के लिए बना है। आप EOC से समाधान के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

९. **अपने कानूनी अधिकारों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें।**
आप वकील से सलाह ले सकते हैं या ज़िला अदालत में कानूनी कार्यवाही शुरू करा सकते हैं।

आप यौन उत्पीड़न रोक सकते हैं

कई लोगों ने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपनी नौकरीपेशा ज़िन्दगी को सुधारा है। पहला कदम है अपने कानूनी अधिकारों को जानना। आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

- ज़िला न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।
- EOC के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सुलह द्वारा समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। समझौते का समाधान अन्य रूपों में हो सकता है – व्यवहार में बदलाव; क्षमायाचना पत्र; यौन उत्पीड़न नीतियों का लागू करना; ट्रेनिंग उपलब्ध कराना; या वित्तीय मुआवज़ा।
- यदि सुलह सफल नहीं होता, तो आप EOC से कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए समान अवसर आयोग के वेबसाइट पर जाएँ और आयोग में हो रहे निर्धारित प्रेसेन्टेशन में भाग लेने के लिए संपर्क करें, या अपनी कंपनी से कहें कि वो EOC को अपने कर्मचारियों से बात करने का निमंत्रण दें।

सहायता कहाँ मिलेगी?

समान अवसर आयोग आपकी सहायता के लिए है। EOC वेबसाइट www.eoc.org.hk पर जाएँ और देखें यौन उत्पीड़न विरोधी संसाधन और भेदभाव कानूनों पर हमारे कई प्रकाशन जैसे “ विकलांगता भेदभाव अध्यादेश और मैं”, “लिंग भेदभाव अध्यादेश और मैं”, “ पारिवारिक स्थिति भेदभाव अध्यादेश और मैं” और “जातीय भेदभाव और मैं”। गर्भावस्था भेदभाव, यौन उत्पीड़न और अन्य क्षेत्रों से संबंधित “अपने अधिकार जानिए” श्रंखला भी आपकी जानकारी के लिए उपलब्ध है।

पता: 16/F., 41 Heung Yip Road,
Wong Chuk Hang, Hong Kong

हॉटलाइन: 2511 8211

फैक्स: 2877 7600

ईमेल: eoc@eoc.org.hk

वेबसाइट: http://www.eoc.org.hk

SMS इनक्वायरी सर्विस: 6972566616538 (सुनने और बोलने की दुर्बलता वाले लोगों के लिए)